सं. 31011/5/2014-स्था.(ए-IV)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

......

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 24 सितम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए हवाई यात्रा टिकट बुकिंग करने की प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 19 जून, 2014 के का.ज्ञा.सं. 31011/4/2014-स्था.(ए-IV) द्वारा निर्धारित शर्तों का संदर्भ देने के निदेश हुआ है जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए सीधे एयरलाइंस (बुकिंग काउन्टर, एयरलाइंस की वेबसाइट) से या अधिकृत ट्रेवल एजेन्ट्स अर्थात् मैसर्स बामर लॉरी एंड कम्पनी, मैसर्स अशोक ट्रेवेल एवं टूअर्स तथा आईआरसीटीसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.12.2009 के का.ज्ञा.सं. 31011/6/2002-स्था.(क) द्वारा आईआरसीटीसी को अधिकृत स्तर तक) की सेवा का उपयोग करके हवाई टिकट बुक करने की आवश्यकता होती है।

2. इस मामले की आगे समीक्षा की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकृत ट्रेवल एजेन्ट्स मैसर्स बॉमर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड, मैसर्स अशोक ट्रेवलर्स एंड टूअर्स तथा आईआरसीटीसी के वेब पोर्टल को भी एलटीसी के लिए हवाई टिकटों की खरीद का स्वीकार्य माध्यम माना जाएगा। तथापि इन अधिकृत एजेन्टों के वेब पोर्टल द्वारा हवाई टिकटों की बुकिंग व्यय विभाग के दिनांक 5 सितम्बर, 2014 के का.ज्ञा.सं. 19024/1/2012-ई-IV के प्रावधानों द्वारा भी अभिशासित होगी जो निम्नलिखित हैं :-

(i) कोई भी शुल्क/सेवा प्रभार (जिसका कोई भी नाम हो) जो एयर इण्डिया/एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले "टैरिफ" में शामिल न हों को उपरोक्त अधिकृत ट्रैवल एजेन्ट को अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) जहां तक संभव हो सरकारी खाते से लिए जाने वाले हवाई यात्रा के टिकट सीधे एयर इण्डिया/एयरलाइंस (बुकिंग काउन्टर/कार्यालय/वेबसाइट) से प्राप्त किए जाने चाहिए और यदि सीधे एयर इण्डिया/एयरलाइंस से टिकट प्राप्त करना संभव न हो तभी अधिकृत ट्रेवल एजेन्ट्स की सेवा ली जानी चाहिए।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों को इन दिशानिर्देशों को अपने कर्मचारियों के ध्यान में लाए जाने की सलाह दी जाती है।

ह/-

(बी.बंद्योपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष (011) 23040341

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

पूर्व पृष्ठ सेः

प्रतिः-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी कार्यालय तथा अनुभाग।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय।
10. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इस का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित (का.ज्ञ./आदेश→स्थापना→एलटीसी नियमावली)।
11. मैसर्स अशोक ट्रेवल्स एवं टूअर्स, कमरा सं. 8 एवं 9, लॉबी लेवल, होटल जनपथ, जनपथ, नई दिल्ली-110001
12. मैसर्स बामर लॉरी एंड कम्पनी लि., कोर 8, स्कोप कॉम्प्लेक्स, भूतल, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली।
13. आईआरसीटीसी कॉर्पोरेट कार्यालय, बी 148, 11वां तल, स्टेट्समैन हाऊस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001